



Fee Structure for New Students : Session 2023-24

ANNUAL CHARGES (ONETIME & NON REFUNDABLE)

Class	Adm.Fee	Caution Money	Annual Exam. Fee	Annual Composite Fee	Total (New)	Total (Old)
NUR-UKG	1000	2500	1000	22000	26500	23000
I - V	2000	3000	1500	31000	37500	32500
VI - VIII	4000	4500	2000	39000	49500	41000
IX - X	7000	6000	2000	49500	64500	51500

CONSOLIDATED FEE PAYMENT SCHEDULE (Installments)

Class	April '23		July '23	Oct. '23	Jan.'24	Total	
	(Old)	(New)				(New)	(Old)
NUR-UKG	8000	11500	5000	5000	5000	26500	23000
I - V	16000	21000	5500	5500	5500	37500	32500
VI - VIII	17000	25500	8000	8000	8000	49500	41000
IX - X	24500	37500	9000	9000	9000	64500	51500

26500/-

OPTIONAL FEE (For all Classes) NON REFUNDABLE*

Category	April '23	July'23	Oct.'23	Jan.'24	Total
A	2700	3600	3600	3600	13500
B	3200	4600	4600	4600	17000
C	3300	4800	4800	4800	17700
D	4400	6200	6200	6200	23000
E	4000	5500	5500	5500	20500

फीस सम्बन्धी नियमावली

- स्कूल की फीस किसी भी परिस्थिति में वापस, हस्तांतरित अथवा समायोजित नहीं की जाएगी।

- स्कूल की फीस एक्सिस बैंक, रामघाट रोड, अलीगढ़ शाखा में निम्न प्रकार जमा की जा सकती है:-
 - अप्रैल 2023 की प्रथम किरत प्रत्येक दशा में 10 अप्रैल 2023 तक जमा करनी अनिवार्य है।
 - 1 से 20 तारीख तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं। फीस बैंक में जमा होगी। केवल जुलाई, अक्टूबर व जनवरी 2024 की किरत के लिए लागू।
 - 21 से 25 तारीख तक विलम्ब शुल्क 250 रु + फीस बैंक में जमा होगी।
 - 26 से 30/31 तारीख तक विलम्ब शुल्क 500 रु + फीस बैंक में जमा होगी।
 - अगले माह की 1 तारीख को विद्यार्थी का नाम स्कूल रजिस्टर से हटा दिया जायेगा। 1500 रु व बकाया फीस जमा करने पर ही प्रवेश दिया जा सकता है। यह निर्णय प्रधानाचार्य के विवेक पर निर्भर है इसे पुनः प्रवेश हेतु अधिकार न समझा जाए। फीस न जमा कराने के कारण यदि विद्यार्थी को कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है तो इससे होने वाले पढ़ाई के नुकसान की जिम्मेदारी विद्यालय की नहीं होगी।
- वार्षिक कम्पोजिट शुल्क में सभी आवर्ती शिक्षण शुल्क व्यय आदि शामिल है। फीस का कोई अलग विवरण नहीं दिया जा सकता (फीस एक्ट के अनुसार)
- यदि सत्र के मध्य में कोई विद्यार्थी स्कूल छोड़ता है तो 1 महीना पहले लिखकर सूचित करना पड़ेगा तथा फीस की पूरी किरत जमा करनी पड़ेगी। समस्त बकाया शुल्क आदि के जमा होने के सूचना के उपरान्त ही टी0सी0 दी जायेगी। किन्तु सत्र के मध्य में टी0सी0 की माँग न की जाय।
- स्कूल फीस को एक्सिस बैंक, रामघाट रोड, अलीगढ़ शाखा में फीस की किताब की रिलप/वाउचर के द्वारा जमा किया जाए। बिना फीस कर रिलप प्रयोग किये सीधे ही स्कूल के खाते में जमा करने पर वह रकम फीस के मद में नहीं मानी जायेगी और न वापस होगी।

आप्सनल फीस नियमावली: आप्सनल फीस स्कूल की फीस के साथ 4 किस्तों में जमा की जायेगी।

- अप्रैल 2023 माह की आप्सनल फीस की किरत प्रत्येक दशा में 10 अप्रैल तक अवश्य जमा होनी अनिवार्य है अन्यथा सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।
- 1 से 20 तारीख तक कोई विलम्ब शुल्क नहीं। फीस बैंक में जमा होगी। यह नियम केवल जुलाई, अक्टूबर व जनवरी 2024 की किरत के लिये लागू।
- 21 से 25 तारीख तक विलम्ब शुल्क 250 रु + बकाया फीस बैंक में जमा होगी।
- 26 से 30/31 तारीख तक विलम्ब शुल्क 500 रु + बकाया फीस स्कूल में जमा होगी। (ड) 30/31 तारीख के बाद सुविधा समाप्त कर दी जायेगी।
- आप्सनल सुविधा (ट्रांसपोर्ट) छोड़ने के लिए कम से कम 2 माह पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। अन्यथा फीस देनी होगी।

नोट :

- स्कूल फीस एक्सिस बैंक रामघाट रोड, अलीगढ़ शाखा में नकद/CST Cheque/ECS/NEFT आदि माध्यम से जमा की जायेगी। ECS/NEFT से फीस जमा करने पर तुरन्त स्कूल आकर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या, विद्यार्थी का विवरण एवं जमा किये फीस के प्रमाण की प्रति प्रेषित करें जिससे आपके भुगतान को बैंक से मिलान किया जा सके। ऐसा न करने पर आपकी फीस किसी अन्य खाते में गुम होने की सम्भावना हो सकती है। सभी बैंक काली स्याही से स्पष्ट लिखें। विद्यार्थी का नाम, कक्षा, एडमीशन नं०, अभिभावक का नाम अवश्य लिखना होगा।
- फीस जमा करने हेतु कोई सूचना या रिमाइंडर अलग से नहीं दिया जायेगा। अभिभावक का कर्तव्य है कि वे स्वयं समय पर फीस जमा करें। सुविधा हेतु SMS द्वारा सूचना दी जा सकती है। किन्तु इस कारण से स्कूल की फीस प्राप्त करने के अधिकार का हनन नहीं माना जायेगा।
- एक मुश्त पूरे वर्ष की फीस प्रथम किरत के समय 10-04-2023 तक जमा कराने पर 1000/- रुपये पूरे वर्ष की कम्पोजिट शुल्क में कम किये जायेंगे, किन्तु यह सुविधा पूर्णतः स्कूल प्रबन्धक समिति के निर्णय के आधार पर है। यह 1000 रु की छूट केवल 10-04-2023 तक मान्य होगी।
- स्कूल डायरी, आई-कार्ड नि:शुल्क है।
- आप्सनल फीस ईंधन कीमत के अनुसार एवम् सुविधा प्रदाता द्वारा शुल्क के परिवर्तन पर बदली जा सकती है।

विशेष नोट :

- अप्रैल 2023 की फीस की किरत प्रत्येक दशा में 10 अप्रैल 2023 तक जमा कराना अनिवार्य है। यदि फीस निर्धारित तिथि तक जमा नहीं की जाती है तो बिना कोई सूचना के विद्यार्थी का नाम काट दिया जायेगा और उसे कक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा और स्कूल ट्रांसपोर्ट भी रोक दिया जायेगा। इस विषय में किसी भी प्रकार की सिफारिश या न जमा कराने का कारण स्वीकार नहीं होगा।
- एक बार जमा की गई फीस किसी भी दशा में वापस अथवा समायोजित नहीं की जायेगी। अतः प्रवेश लेने से पूर्व भली भाँति फीस सम्बन्धी नियमावली के समस्त विन्दु पूरी तरह पढ़ कर सन्तुष्ट होकर ही प्रवेश लें। बाद में सत्र के मध्य में फीस वापसी की कोई माँग नहीं मानी जायेगी।